वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला भूमि सुधार प्रशाखा)

निविदा सूचना

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय), बिहार, पटना के पत्रांक–2066 दिनांक 28.11.16 में वर्णित निदेश के आलोक में वैशाली जिला अन्तर्गत सभी अंचलों के राजस्व हल्का में उपलब्ध जमाबंदी का कम्प्यूटराईजेशन किया जाना है। अभी वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हाजीपुर अंचल के राजस्व ग्रामों का जमाबंदी पंजी–2 का कम्प्यूटराईजेशन का कार्य चल रहा है। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सभी अंचलों के राजस्व ग्रामों के पंजी–2 का कम्प्यूटराइजेशन अंचलो में उपलब्ध कम्प्यूटर ऑपरेटर से कराया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप वैशाली जिला अन्तर्गत सभी अंचल कार्यालयों (हाजीपुर को छोड़कर) के राजस्व हल्का में उपलब्ध जमाबंदी पंजी–2 का राजस्व ग्रामवार कम्प्यूटराईजेशन (डाटा इन्ट्री) कराये जाने से संबंधित कार्य को संपादित करने हेतु दर निर्धारण के लिए समाहर्त्ता, वैशाली द्वारा योग्य अनुभवी एजेंसियों से द्विलिफाफा पद्धति के तहत् तकनीकि एवं वित्तीय निविदा मुहरबंद लिफाफा में आमंत्रित किया जाता है। निविदा निम्नांकित प्रकार के कार्य के लिए है :–

1. सभी अंचल में अंचल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित स्थान पर अपना कम्प्यूअर सेट एवं इन्टरनेट की व्यवस्था स्थापित करनी होगी।
2. राजस्व हल्का कर्मचारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जमाबंदी पंजी–2 का क्रमानुसार एन0आई0सी0 द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के विभिन्न कॉलमों में इसकी प्रविष्टि करनी होगी। प्रपत्र का नमूना जिला राजस्व शाखा, वैशाली से प्राप्त किया जा सकता है।
3. प्रविष्टि के बाद जमाबंदी पंजी–2 का मौजावार अलग–अलग प्रिन्ट आउट A4 साइज में निकालकर सत्यापण हेतु अंचल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. जमाबंदी पंजी–2 के प्रथम प्रिन्ट के सत्यापण के पश्चात् त्रुटियों का सुधार करते हुए मौजावार प्रिन्ट आउट (हार्ड कॉपी) A3 साईज के पेपर पर निकालकर जिल्दवाईज वाइन्डिंग करते हुए अंचल अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।
5. कार्य पूर्ण होने पर हार्ड कॉपी सी0डी0 सहित तैयार कर देना होगा।

योग्य एजेंसी जो अधोलिखित शर्तो को पूरा करते हुए, सीलबन्द लिफाफा में अलग–अलग तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पत्र समाहर्त्ता, वैशाली (राजस्व शाखा) में **दिनांक 06.11.17 को 01:00 बजे अपराहन तक दे सकते है। प्राप्त निविदायें दिनांक 06.11.17 को 03:00 बजे अपराहन्** में जिलाक्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा दाता उक्त तिथि एवं समय पर स्वंय या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते है। तकनीकि निविदा में सफल होने पर वित्तीय निविदा खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी जिला राजस्व शाखा, वैशाली से प्राप्त की जा सकती है। इस निविदा को जिला के वेवसाईट पर भी देखा जा सकता है।

(क) तकनीकि निविदा की शर्ते

1. निविदादाता एजेंसी को जी0एस0टी0 / सेवा कर का निबंधित होने का प्रमाण पत्र तथा कर जमा करने की अद्यतन विवरणी संलग्न करनी होगी।
2. एजेंसी को पैन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति के साथ अद्यतन आयकर विवरणी संलग्न करना होगा एवं एक वित्तिय वर्ष का कुल टर्न ओभर मो0 1000000 / –रू0 का बैलेन्स सीट संलग्न करना होगा।
3. निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में 10000 / –रू0 का बैंक ड्राफ्ट देना होगा जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत तथा समाहर्त्ता, वैशाली के पक्ष में भुगतेय हो।
4. निविदादाता एजेंसी को इस कार्य हेतु सक्षम तकनीकि कर्मियों की उपलब्धता संबंधी पूर्ण विवरणी, नाम, योग्यता एवं अनुभव के साथ देना होगा।

5. निविदादाता को तकनीकि क्षमता एवं उसके पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण यथा कम्प्यूटर सेट, यू0पी0एस0, डिजिटल प्रिन्टर, कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या, कर्मियों की संख्या, जेनरेटर, प्रिन्ट आउट निकालने की क्षमता आदि का विवरण अंकित करना होगा। निविदा में अंकित विवरणी के अनुरूप संसाधन नहीं पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

6. निविदादाता को प्रिन्टर हेतु ओरिजनल टोनर तथा A3 एवं A4 साईज में सेन्चुरी पेपर का उपयोग करना होगा एवं ग्रामवार/भॉलूम वाईज अच्छी तरह बाईन्डिग करना है, जिसका कभर कपड कौटेड होना चाहिए, इसकी धोषणा पत्र देना होगा।

7. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

8. इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले एजेन्सी को प्राथमिकता दी जायेगी, इसलिए कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र की छाया प्रति देना होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्ते :-

1. हार्ड कॉपी तैयार करने का प्रति पृष्ठ दर संबंधित निविदादाता/एजेंसी द्वारा दिया जायेगा।

2. निविदादाता द्वारा पंजी–2 के पन्नों के हार्ड कॉपी राजस्व ग्रामवार बाईडिंग का दर 01–100, 101–200, 201–300, 301–400, 401–500 पन्नों के लिए अलग–अलग दिया जायेगा।

3. जमाबंदी पंजी–2 के प्रिंटिंग हेतु प्रथम A4 एवं द्वितीय A3 साईज में सेंचुरी पेपर का दर बताना होगा।

(ग) निविदा की सामान्य शर्ते :-

1. निविदा को बिना कारण बातये संशोधन करने, स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

2. चयनित ऐजेंसी को जो भी सरकारी कागजात यथा पंजी–2 आदि दी जायेगी उसके रख–रखाव की जिम्मेवारी उन्हीं की होगी तथा डाटा इन्ट्री के बाद मूल रूप में राजस्व कर्मचारी/अंचल कार्यालय को वापस कर दिया जायेगा।

3. सभी कार्यों को समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर समाप्त करना अनिवार्य होगा।

4. निविदादाता को उक्त कार्यों में प्रयुक्त किये जाने वाले लेजर प्रिंटर, जेनरेटर, यू0पी0एस0, सर्वर, कम्प्यूटर सेट, कम्प्यूटर टेबल, कुर्सी आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

5. अन्य किसी भी जानकारी हेतु जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, वैशाली/राजस्व शाखा से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

6. सभी 15 अंचलों में राजस्व जामबंदी पंजी–2 के डाटा इन्ट्री का कार्य संबंधित अंचल अधिकारी की देख–रेख में संपादित होगा तथा संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं जिला सूचना पदाधिकारी, वैशाली के द्वारा लगातार इस कार्य का प्रवेक्षण किया जायेगा।

7. कार्य करने का स्थल प्रखंडों के संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जो बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के होगा।

8. अस्थायी विद्युतीकरण हेतु जेनरेटर की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के खर्च पर रखना होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार के अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

9. राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग, बिहार पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में कार्यों के लिए निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य को समाप्त करना अनिवार्य होगा।

10. निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन 1000/–रू0 की कटौती निर्धारित विपत्र से की जायेगी। साथ ही जमानत की राशि जप्त भी की जा सकती है।

11. कार्यहित में समय पर कार्य को पूर्ण करने के लिए न्यूनतम दर पर कार्य का वितरण एक से अधिक एजेंसियों के बीच किया जा सकता है।

12. किसी भी प्रकार का अग्रिम निविदादाता को देय नहीं होगा। अभिश्रव राशि का भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर किया जायेगा। भुगतान में विलंब होने पर कोई भी सूद की राशि देय नहीं होगा।

13. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

14. एजेंसी के चयन/कार्य आवंटन के बाद निर्धारित बिन्दुओं पर एकरारनामा करना होगा।

15. एजेंसी का चयन उनकी तकनीकि क्षमता, न्यूनतम दर एवं निगोशियेशन के आधार पर किया जायेगा।

समाहर्त्ता
वैशाली।

ज्ञापांक 1142 /जि0भू0सु0 दिनांक 30/10/017

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि निविदा का प्रकाशन निर्धारित तिथि के पूर्व तीन प्रमुख समाचार पत्रों में करवाने की कृपा करेंगे।

समाहर्त्ता
वैशाली।